21/10/19 - पत्रावली पेश हुई। [illegible] जवाब प्राप्त नहीं [illegible] जवाब हेतु पत्रावली दि. 22/11/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

22/10/19 [illegible] 11/11/19 [illegible]

11/11/2019 - पत्रावली पेश हुई। [illegible] जवाब प्राप्त नहीं [illegible] जवाब दि. 18/11/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

18/11/19 - पत्रावली पेश हुई। [illegible] जवाब प्राप्त नहीं [illegible] जवाब दि. 07/1/20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

07/1/2020 [illegible] 12/2/20 [illegible]

17/02/2020 - पत्रावली पेश हुई [illegible] जवाब पेश नहीं [illegible] पत्रावली [illegible] दि. 19/03/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

19/03/2020 - पत्रावली पेश हुई [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

वाद संख्या 144/2017
संस्थित दिनांक : 30/11/2017
निर्णय दिनांक 19/02/2020

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]राम
4. छोटूराम

पुत्रान रामकरण, जाति माली, निवासीगण दांतरी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— वादीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र रामकरण, जाति माली, निवासी दांतरी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. तहसीलदार तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

—प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्त0 अधि0–1956)

उपस्थिति – *श्री नारायणसहाय पारीक*
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री शिवराम शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 19/02/2020

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी स्वर्गीय रामकरण के जायन्दा पुत्र है अर्थात आपस में सगे भाई है। आराजी खसरा नम्बर 1340/1 रकबा 03 बीघा भूमि वाके ग्राम दांतरी, तहसील दूदू में स्थित है, जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज है, जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी ने स्वर्गीय रामकरण की समस्त खातेदारी भूमि का विभाजन कर रखा है तथा मौके पर वादीगण 4/5 हिस्से एवं प्रतिवादी का 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी जो

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

वादीगण का बड़ा भाई है तथा कर्ता खानदान था, जिससे अविश्वास का कोई कारण था तथा मौके पर बराबर काश्त करते आ रहे हैं। अभी हाल ही हुये राजस्व कैम्प में प्रतिवादी को कि उक्त आराजीयात जो आपके नाम दर्ज है उसको बराबर नाम करवा दो, जिस पर प्रतिवादी सहमत हो गया लेकिन ग्राम दांतरी में जिस दिन कैम्प था, उस दिन अन्यत्र गांव चला गया तथा वादीगण को कहा कि आज कैम्प था और आप उपस्थित नहीं थे, जिस पर प्रतिवादी वादीगण से नाराज हो गया तथा ऐलानिया धमकी देना शुरू कर दिया कि अब तुम्हें बेदखल कर कब्जा लूंगा, जिस पर वादीगण ने समाज की मिटिंग की लेकिन प्रतिवादी बाज नही आया, बल्कि विक्रय करने की ऐलानिया धमकी दी तथा प्रतिवादी का नाम कालूराम पुत्र रामकरण है, जबकि राजस्व रिकार्ड में कालूराम पुत्र चन्द्रा दर्ज है, जिसे दुरूस्त किया जावे एव प्रतिवादी के दर्ज हिस्से में वादीगण का हिस्सा जो अन्य खातेदारी में खुले नामान्तरकरण से प्रमाणित हैं। ग्राम के मौजिज व्यक्तियों ने दिनांक 09/09/2017 को उक्त आराजीयात को नाम लगाने के लिये कहा तो प्रतिवादी सरासर रूप से इन्कार हो गया तथा विक्रय कर बेदखली की धमकी दी, जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया जाना लाजिमी हुआ हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री इस अमर की फरमायी जावें कि खसरा नम्बर 1340/1 रकबा 03 बीघा भूमि में 4/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी में वदीगण के हिस्से की आराजीयात में कब्जे काश्त दखलबाजी नही करें, न ही वादीगण के हिस्से की आराजीयात को रहन, बेय, मुन्तकिल, हस्तान्तरित आदि ही करें तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय एवं डिक्री की पालनार्थ तहरीर तहसीलदार दूदू को भिजवायी जावें एवं अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट मंगवायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। वादीगण एवं प्रतिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 06/11/2018 को तहसीलदार को पक्षकार कायम किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

असल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 वाके ग्राम दांतरी एवं पक्षकारान द्वारा तालीमात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी कि विवादित आराजीयात वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व में दर्ज है। वादीगण ने उक्त वाद–पत्र पेश कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के भाई होना एवं विवादित आराजीयात का बंटवारा होना अंकित करते हुये बराबर नाम लगवाना चाहा है, लेकिन वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि पैतृक भूमि हो तथा वादीगण ने अपने वाद–पत्र में यह भी कहीं स्पष्ट नही किया है कि उक्त भूमि पैतृक है या स्वअर्जित? इसलिये उक्त आराजीयात पक्षकारान की पैतृक आराजीयात नही मानी जा सकती है तथा वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे उस आराजीयात शामिल में रहते हुये क्रय की गयी हो तथा इसके अलावा वादीगण द्वारा उक्त वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत रामकरण अंकित की है, जबकि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1340/1 में प्रतिवादी संख्या 1 कालू की वल्दियत ... दर्ज है, जिससे भी यह साबित नही हो पा रहा है कि पक्षकारान आपस में सगे भाई है या नहीं? इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण स्टाम्प ड्युटी बचाने के आशय से पेश किया जाना प्रतीत होता हैं। वादीगण यदि उक्त आराजीयात को बराबर नाम लगवाना चाहते है, तो नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी राज्य सरकार में जमा करवाकर नाम करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1340/1 रकबा 03 बीघा वाके ग्राम दांतरी, तहसील दूदू के बाबत साबित नही होने से खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/03/020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

राज ... ... जयपुर ...

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

आखिर डिक्री

(... 20 ... ... दीवानी)

अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी डूडू
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

...मदेव 2. रामेश्वर 3. नन्दाराम ... 1. कानूराम पुत्र रामकरण माली निवासी ...
...रोडूराम मुवाद ... बनाम ... सोसणा न्याजालेंक 2. तहसीलदार तहसील डूडू
...ण माली मुकदमा नं. 144/2017 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायणसहाय पारीक एडवो.

...जिरी ... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री शिवजीराम शर्मा एडवो.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र वादग्रस्त आराजी
1340/1 रकबा 03 बीघा वाके ग्राम दातेरी तहसील डूडू के बाबत
साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

... मुबलिग ... बाबत ...

... इस मुकदमे के मय सूद बशरह ... फीसदी ... आज की तारीख से

...ख अदायगी तक ... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-02-2020 को

...री की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा डूडू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...म्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...हन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
...र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
...फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...बत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...तफरिक					
मीजान			मीजान		

...- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।